

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

दस्तावेज नंबर

बनाम

श्रीता सिंह आदि

ख्या 09 / 2021 अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RTA

	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
<p>4 8 24 3 1 24</p>	<p>अधिवक्तागण उपस्थित श्री मान PO महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 21/5 को पेश हो <u>Karna</u></p> <p>अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा वादी को पंजीकृत डाक से भेजे गए नोटिस की प्रति पेश की। नोटिस में वगित किया कि अगर न्यायालय द्वारा मुकदमा खारिज किया जाता है या आपके विरुद्ध निर्णय किया जाता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।</p> <p>वादी अधिवक्ता द्वारा विवेदन किया कि मुझे वादी की ओर से पेश्वी कि हिदायत नहीं है। उचित कार्यवाही की जावे। वादी अधिवक्ता को बुला गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादी की पेश्वी छूट दी गई है व वादी के द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया गया है। निहाय एसा प्रतीत होता है कि वादी न्याय प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है। अतः वादिया का वादपत्र अद्य तारीखी प्रे इन्सी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्गति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर